



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2826]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2016/अग्रहायण 10, 1938

No. 2826]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2016/AGRAHAYANA 10, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3605(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित आयोग, महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, आय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (1) वार्षिक लाइसेंस का शुल्क
- (2) सावधि जमा एवं बचत खाता पर व्याज
- (3) दायर की गई आवेदन/याचिका का शुल्क
- (4) महाराष्ट्र सरकार से अनुमोदन
- (5) दस्तावेजों के लिए शुल्क
- (6) वार्षिक लाइसेंस शुल्क के देरी से भुगतान के लिए आर्थिक दंड
- (7) आरटीआई के लिए शुल्क
- (8) रद्दी माल की बिक्री

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग की उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आय के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी:-

- (क) महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग की कार्यकलाप और आय विशेष की प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग आय की विवरणी दायर करे।

[अधिसूचना सं. 110 /2016/फा. सं. 196/38/2015-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक